क्रम संख्या--067 (क–2)

पंजीकृत संख्या--यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई0
ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 216 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05 सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या–05 सन् 2002)

31 मार्च, 2003 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2002–2003 के लिए 5840,01,38,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो [अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–02 सन् 2002) की अनुसूची के स्तम्भ–7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके)] 5840,01,38,000 रुपये (पांच हजार आठ सौ चालीस करोड़, एक लाख, अड़तीस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1.	विधान सभा	राजस्व	56448	5246	61694
		पूंजी	—	—	—
2.	राज्यपाल	राजस्व	—	27429	27429
		पूंजी	—	—	—
3.	मंत्रि परिषद	राजस्व	44701	—	44701
		पूंजी	—	—	—
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व	308488	99862	408350
		पूंजी	265000	—	265000
5.	निर्वाचन	राजस्व	78850	—	78850
		पूंजी	—	—	—
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1282233	21	1282254
		पूंजी	128500	—	128500
7.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	5894280	6119862	12014142
		पूंजी	627346	6166848	6794194
8.	आबकारी	राजस्व	27737	—	27737
		पूंजी	10000	—	10000
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	17468	—	17468
		पूंजी	10000	—	10000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	2010894	10	2010904
		पूंजी	119830	—	119830
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	9703982	15	9703997
		पूंजी	234709	—	234709
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2118613	—	2118613
		पूंजी	478207	—	478207

1	2		3		
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	2633362	—	2633362
		पूंजी	125000	—	125000
14.	सूचना	राजस्व	95386	—	95386
		पूंजी	—	—	—
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	1655021	—	1655021
		पूंजी	254882	—	254882
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	316125	—	316125
		पूंजी	21600	—	21600
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2427605	2003	2429608
		पूंजी	31746	—	31746
18.	सहकारिता	राजस्व	108541	—	108541
		पूंजी	54540	—	54540
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	1700083	—	1700083
		पूंजी	168669	—	168669
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1590073	—	1590073
		पूंजी	371170	—	371170
21.	ऊर्जा	राजस्व	1452243	—	1452243
		पूंजी	707000	—	707000
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	1584784	10405	1595189
		पूंजी	2773605	—	2773605
23.	उद्योग	राजस्व	254271	—	254271
		पूंजी	668267	—	668267
24.	परिवहन	राजस्व	202172	—	202172
		पूंजी	268759	—	268759
25.	खाद्य	राजस्व	147858	—	147858
		पूंजी	1387	—	1387
26.	पर्यटन	राजस्व	222975	—	222975
		पूंजी	211810	—	211810
27.	वन	राजस्व	2079971	1198	2081169
		पूंजी	3503	—	3503
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	403276	60	403336
		पूंजी	14209	—	14209
	योग ...		45967179	12432959	58400138

आज्ञा से,
(आर0 पी0 पाण्डेय)
सचिव।